न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (राजसमन्द आर्डर

रतनलाल पिता मांगीलाल जी जाट, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल पिता उदयराम जी ब्राहमण, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. प्रेमशंकर पिता हीरालाल जी ब्राहमण, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. रामी पत्नी प्रेमशंकर जी ब्राहमण, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. राजेश कुमार पिता मोहनलाल जी ब्राहमण, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3. सुरेश पिता मोहनलाल जी ब्राहमण, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

4. गीता पत्नी स्वर्गीय मोहनलाल जी ब्राहमण, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

5. भैरूलाल पिता देवकिशन जी ब्राहमण, निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 05.10.2017 प्र॰सं॰ 786/15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस.के. मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मुकेश तलेसरा अभि. रे. सं. 1/1, 4, 5

———::———

निर्णय **दिनांक 10–01–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पछमता में प्रार्थी के स्वामित्व के आराजी नंबर 1244, 1245 व 1246 स्थित हैं एवं इसके पास ही विपक्षीगण की आराजी नंबर 1247 स्थित होकर उसके दक्षिण दिशा में सटमा आम रास्ता है, जिसके पूर्वी कोने से पाली के सहारे–सहारे आराजी नंबर 1244 में प्रवेश करता है एवं इस रास्ते का उपयोग व अपने पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा है, परन्तु विपक्षीगण उक्त रास्ते में रूकावट उत्पन्न करते हैं। प्रार्थी को आराजी नंबर 1247 की पूर्वी पाली पर 12 फिट चौड़ा एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है, जो आराजी नंबर 1244 की दक्षिणी पाली तक है। अतएवं प्रार्थी को आराजी नंबर 1247 की पूर्वी पाली पर 12 फिट चौड़ा व सम्पूर्ण लम्बाई में आराजी नंबर 1244 की दक्षिणी पाली तक रास्ता दिलाया जावे। रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 1247 के दक्षिणी में पक्की दीवार बनी हुई है, जिससे प्रार्थी का यह कथन कि वह इस रास्ते से आता–जाता है, सर्वथा मिथ्या है। प्रार्थी अपनी आराजी नंबर 1244, 1245 व 1246 में आने–जाने हेतु उक्त आराजी के उत्तर में स्थित आराजी नंबर 1210 के उत्तर में स्थित रास्ते से आता–जाता है। आराजी नंबर 1247 में रास्ते संबंधी कोई आलामात नहीं है। अतएंव आवेदन खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रेलमगरा से रिपोर्ट भी तलब की गयी है, जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता आराजी नंबर 1247 में से चाहा गया है वह रास्ता निकटतम दूरी में आराजी नंबर 1210 की अपेक्षा ज्यादा है। आराजी नंबर 1247 में पक्की दीवार बनी होने से भी एक तरफ से रास्ता नहीं दिया जा सकता। आराजी नंबर 1210 में से होकर सीधे ही आराजी नंबर 1246 में पहुंचा जा सकता है। आराजी नंबर 1210 से सटा रास्ता है एवं उपस्थित मौतबीरान ने भी इसी रास्ते से होकर

पूर्व में भी जाना बताया। आराजी नंबर 1210 से 56 X 4 मीटर रास्ता दिया जा सकता है, जिससे अप्रार्थी को भी असुविधा नहीं होगी।

अधिनस्थ न्यायालय में उपरोक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने तथा उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05–10–2017 को निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए निकटतम रास्ता आराजी नंबर 1210 में से 1246 में दिया जाना मानते हुए प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 05–10–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है। हालांकि निर्णय के शीर्षक में दिनांक 27–09–2017 अंकित है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1, 4 व 5 की ओर से वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/2, 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें भी खेत में जाने के लिए मांगे रास्ते को आवश्यक व सुविधा जनक बताया है तथा इस रास्ते के अलावा अन्य को रास्ता नहीं होना बताया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है तथा तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। रेलमगरा से गिलुण्ड जाने वाली सड़क के उत्तर में विपक्षीगण की आराजी नंबर 1247 है, जिसकी पूर्वी पाली पर सड़क से प्रवेश कर केवल मात्र 180 फिट की दूरी प्रार्थी के

खेत की है, जिसमें से 12 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने में विपक्षीगण को कोई क्षति नहीं होगी। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 1210 में रास्ता दिया है, जो तथ्यों से भिन्न है तथा अधिक दूरी पर होकर दुविधा युक्त है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय स्वयं ने यह वर्णित किया है कि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा नियमानुसार सबसे छोटा रास्ता दिया जाना वर्णित किया है तथा तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सबसे छोटा रास्ता आराजी नंबर 1210 से होकर उपलब्ध है, तो ऐसी परिस्थिति में आराजी नंबर 1247 में रास्ता दिया जाना उचित नहीं है एवं रास्ते की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 1210 से निकटतम रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अपीलान्ट द्वारा कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 789 प्रस्तुत की है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि निरीक्षक, पटवारी से कम के अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, जबकि इस प्रकरण में तो तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है। तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2016–17 पेज 597 प्रस्तुत की है, जिसमें पक्षकारों की उपस्थिति में मौका पर्चा नहीं बनाये जाने को त्रुटि पूर्ण माना गया है। इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सबसे छोटे उपलब्ध रास्ते के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन खारिज किया है। अपीलान्ट द्वारा इसके खण्डन में कोई ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे दोनों रास्तों की तुलना की जा सके। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से दिनांक 11–07–2011 की रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत शुदा है, जो उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 115/17 से दिनांक 25–09–2017 को जारी

की गयी है, वह अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है, जो अत्यन्त खेदजनक है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि जब उक्त पत्र की नकल जारी कर दी गयी थी, तो उक्त पत्र अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 786/2015 पर उपलब्ध क्यों नहीं है, इस बाबत् जांच कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–10–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर